कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 625 / सां.लि. / COVID-19 / 2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 19 / 07 / 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है । इस बीमारी से विश्व में आज दिनांक तक कुल 13616593 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक कुल 585727 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है । भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं, जिनमें कुल 1038716 प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और कुल 26273 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है । छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5246 धनात्मक मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है ।

इसी प्रकार दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में भी नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं । आज दिनांक तक कुल 90 कोराना पॉजिटिव मरीज की पहचान दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है । कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं । नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर में क्षेत्र में आज दिनांक तक 02 कंटेनमेंट जोन बनाएं जा चुके हैं, जो अभी भी प्रभावशील है । अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें । स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परीलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है । छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे । कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है । अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले की नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।

अ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1—26 / 2020 / 17—1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले की नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 22.07.2020 रात्रि 12.00 बजे से 29.07.2020 रात्रि 12.00 बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है एवं यह भी आदेशित किया जाता है कि :—

1. नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है । सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यो का निष्पादन करेगें । आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे ।

... 2 ...

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

2. जिले के नगरीय क्षेत्रो में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है । केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी । ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्कताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी ।
3. नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर उक्त सभी नगरपालिका, नगर पंचायत की सभी सीमाओं को एतद्द्वारा सील किया जाता है । सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Cargo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी ।
4. नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट–बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी ।
5. नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तो के अधीन छूट रहेगी :–
   - क. यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अंदर करनी होगी ।
   - ख. आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को स्वयं करनी होगी ।
   - ग. संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा ।
   - घ. इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा ।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी ।
7. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
8. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो Home Quarantine की निगरानी में रखे गये हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे । इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
9. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे । बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेंगे । किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है । घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

... 3 ...

ब. फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंध से बाहर रखा जाता है :–

1. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी । ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे । उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा ।
2. पंजीयन कार्यालय (ऐप–पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)
3. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय
4. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
5. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
6. दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
7. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
8. ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा–जाकर फल, सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 10.00 बजे तक होगी ।
9. स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक होगी ।
10. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
11. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 07.00 बजे से 10.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
12. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन ।
13. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिसपोजल इत्यादि भी शामिल है ।
14. जेल
15. अग्निशमन सेवायें
16. ए.टी.एम.
17. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें
18. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां
19. पशु चारा
20. पोस्टल सेवायें
21. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कामर्स आपूर्ति
22. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डयनिंग सेवायें ।

... 4 ...

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

23. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियो सहित)
24. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे ।
25. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेसिंयो सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं ।
26. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया
27. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा ।

स. नगरपालिका बचेली, किरन्दुल दन्तेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे ।
2. सभी बैंको के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी ।
3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पॉच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे ।
4. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।

द. निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका–स. में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित हैं, खुले रहेंगे । ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

ई. (1) उपर्युक्त आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे ।
(2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

उ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./ 626 /सां.लि./COVID-19/2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 19/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर ।
6. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
7. आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर ।
8. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
11. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल ।
13. सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
14. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली/ किरन्दुल
15. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
16. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
17. उप संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
19. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दन्तेवाड़ा/गीदम/कुआकोण्डा/कटेकल्याण ।
20. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
21. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना दन्तेवाड़ा/गीदम/कुआकोण्डा/कटेकल्याण/किरन्दुल/ बचेली/भांसी/बारसूर/फरसपाल/अरनपुर की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
22. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856–252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा